उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 20 / 4 / 2002-का–2-2009
लखनऊ, 11 फरवरी, 2009

अधिसूचना संख्या 20 / 4 / 2002-का-2–2009, दिनांक 11 फरवरी, 2009 द्वारा प्रख्यापित उ0 प्र0 (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ''ग'' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2009 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6– सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को सलंग्न नियमावली की दो सत्यापित प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नियमावली को विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) के अन्तर्गत असाधारण गजट में मुद्रित करा कर 3000 प्रतियां तत्काल कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

क्रम-संख्या–37

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 11 फरवरी, 2009

माघ 22, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 20(4)/2002-का-2009

लखनऊ 11 फरवरी, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–4

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की क्रक्रिया (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2009 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में नियम 5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती की प्रक्रिया	5–(1) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियां निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जाएगी:–	सीधी भर्ती की प्रक्रिया	(1) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों से भिन्न पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके, (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएंगी और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ सम्बन्धित विभाग, जिसके लिए भर्ती की जानी है, के विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित की जायेगी। रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जाएगी :– (एक) ऐसी दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक प्रसार हो, विज्ञापन जारी करके, (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके, और (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

नियम-6 का प्रतिस्थापन

3– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
चयन समिति का गठन	6-(1) सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–	चयन समिति का गठन	6-(1) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों से भिन्न पदों पर सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–
	(एक) नियुक्ति प्राधिकारी.....अध्यक्ष		(एक) नियुक्ति प्राधिकारी.....अध्यक्ष
	(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा.....सदस्य,		(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा.....सदस्य
	(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.....सदस्य,		(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निदिष्ट किया जायेगा....सदस्य
	(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा.....सदस्य		(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा.....सदस्य.

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(पांच) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी।.....सदस्य	(पांच) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी।.....सदस्य
टिप्पणी (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार के लिए एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है।	**टिप्पणी** (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार के लिए एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है।
टिप्पणी (2) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जाएगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थिति हो।	**टिप्पणी** (2) यदि किसी नियुक्ति प्रधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जाएगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थिति हो। (2) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती, चयन समिति के द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (एक) संबंधित विभाग, जिसके लिये भर्ती की जानी है, का विभागाध्यक्ष.....अध्यक्ष (दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।.....सदस्य (तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.....सदस्य (चार) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ जो सरकार में विकलांग कल्याण विभाग के यथा स्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा.....सदस्य (पांच) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ चिकित्सक जिसे सरकार में विकलांग कल्याण विभाग के, यथा स्थिति प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ....सदस्य

आज्ञा से,

कुँवर फतेह बहादुर,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/IV-2002-Ka-2-2009, dated February 11, 2009:

No. 20/IV-2002-Ka-2-2009

Dated Lucknow, February 11, 2009

IN exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Post (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission Rules, 2002:

THE UTTAR PRADESH PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT FOR GROUP 'C' POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2009

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) (Third Amendment) Rules, 2009

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule-5

2. In the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002, hereinafter referred to as the said rules, in rule 5 , *for* existing sub-rule (1) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) For making direct recruitment the vacancies shall be notified in the following manner:- (i) by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation; (ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Television and other Employment newspapers; and (iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.	(1) For making direct recruitment to the posts other than the posts reserved for persons belonging to the category of Physically Handicapped, the vacancies shall be notified by the appointing authority and for making direct recruitment to other posts reserved for the persons belonging to the category of Physically Handicapped. the vacancies shall be notified, by the Head of the Department of the concerned department for which recruitment is to be made, The vacancies shall be notified in the following manner:- (i) by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation; (ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers; and (iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

Substitution of rule 6

3. In the said rule, *for* existing rule 6 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*:-

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Constitution of Selection Committee 6. Direct recruitment shall be made by a Selection Committee comprising:-	Constitution of Selection Committee 6. (1) Direct recruitment to the posts other than the posts reserved for persons belonging to the category of Physically Handicapped shall be made by a Selection Committee comprising:-

COLUMN 1 *Existing rule*	COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
(i) Appointing Authority..Chairman	(i) Appointing Authority..Chairman
(ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman .....Member	(ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman.....Member
(iii) An officer belonging to the Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes an officer other than Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall not be nominated by the Chairman.....Member.	(iii) An officer belonging to the Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes an officer other than belonging to other Backward Classes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairman.....Member.
(iv) An officer having adequate knowledge in the related field according to be requirements of the post for which recruitment is to be made shall be nominated by the Chairman.....Member	(iv) An officer having adequate knowledge in the related field according to be requirements of the post for which recruitment is to be made shall be nominated by the Chairman.....Member
(v) An officer nominated by the District Magistrate of the concerned district .....Member	(v) An officer nominated by the District Magistrate of the concerned district .....Member
NOTE:-(1) If the appointing authority is the Head of the Department then in such all the member of the Selection Committee shall be nominated by him, He may, on his behalf nominate an officer senior to other member as Chairman of the Selection Committee. Such Head of the Department may Constitute more than one Selection Committee for Holding interview only.	NOTE:-(1) If the appointing authority is the Head of the Department then in such situation all the member of the Selection Committee shall be nominated by him, He may, on his behalf nominate an officer senior to other member as Chairman of the Selection Committee. Such Head of the Department may Constitute more than one Selection Committee for Holding interview only.
NOTE:- (2) If the jurisdiction of an appointing authority extends to more than one district then in such case the recruitment process shall be done in that district in which the head Quarters of the appointing authority is situated.	NOTE:- (2) If the jurisdiction of an appointing authority extends to more than one district then in such case the recruitment process shall be done in that district in which the head Quarters of the appointing authority is situated.

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
	(2) Direct recruitment to the posts reserved for persons belonging to the category of Physically Handicapped shall be made by a Selection Committee Comprising:-
	(i) Head of the Department of the concerned department for which recruitment is to be made...Chairman
	(ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. if the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman.....Member
	(iii) An officer belonging to the Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belong to the Other Backward Classes, an officer other than belonging to the Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairman.....Member
	(iv) An expert of the related disability shall be nominated by the Principal Secretary or Secretary as the case may be to the Government in the Handicapped Welfare Department. .....Member
	(v) One specialist doctor of the related disability shall be nominated by the Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Handicapped Welfare Department .....Member.

By order,

KUNWAR FATEH BAHADUR,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 973 राजपत्र (हिन्दी)–2009–(2074)–597 प्रतियां–(क०/टी०/आ०)।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 18 सा०नियूक्ति–2009–(2075)–3000 प्रतियां–(क०/टी०/आ०)।